न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सं. 08/2012

राजस्थान सरकार जरिये प्रर्वतन निरीक्षक नसीराबाद।

................प्रार्थी

बनाम

श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री रिजूमल समतानी
प्रो0 मैसर्स कृष्णा डेयरी, शेरखान रोड, नसीराबाद। ....अप्रार्थी

उपस्थित :—
1.श्रीमति रेणूका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2.उत्तम गुरूबक्षानी अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांकः— 16.11.2016

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 15.10.2011 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के संयुक्त जांच दल के साथ प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मैसर्स कृष्णा डेयरी, शेरखान रोड, नसीराबाद की जॉच इसके प्रो0/मालिक श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री रिजूमल समतानी की उपस्थिति में किये जाने पर उक्त डेयरी पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग दुग्ध गर्म करने के उपयोग में करना पाया गया। कृष्णा डेयरी पर दुग्ध, दही एवं मिठाई बनाने एवं विक्रय का कार्य किया जाता है। व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप मौके से एच.पी.सी.एल. कम्पनी के कुल तीन सिलेण्डर (14.2) राजहित में कब्जेराज लेकर मौंके पर ही मैसर्स मल्का गैस सर्विस, नसीराबाद शहर के प्रतिनिधि श्री फिरोज खान की सुपुर्दगी में दिये गये। अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू एल.पी. जी. का व्यवसायिक दूरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के क्लाज 3 (1) (सी) का उल्लघंन है। अतः कब्जेराज लिये गये घरेलू सलेण्डर को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये, जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 15.10.11 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग दुग्ध गर्म कर उससे मिठाई बनाकर विक्रय किया जाने में पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दूरूपयोग एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के क्लाज 3 (1) (सी) का उल्लघंन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय

16/11/16
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये उक्त घरेलू सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब नोटिस के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग होता है। जिसका उपभोक्ता कमांक 603239 है। जब्त सिलेण्डार प्रार्थी के घर के उपयोग का घरेलु गेस सिलैण्डर भरवाने के लिए लाये गये थे जो कुछ आवश्यक कार्यो की वयस्तता के कारण व्यवसाय स्थल पर ही रख दिये गये थे। व्यवसाय स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरस्त फरमाते हुए जब्त सिलेण्डर अप्रार्थी को वापिस लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसायिक स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा कब्जेराज लिये गये उक्त घरेलू सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत् राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.11.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/11/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
अजमेर